लापरवाही चिकित्सालय से मायूस होकर लौट जाते हैं पशुपालक

चिकित्सालय में ताला, पशुपालक परेशान

नवभारत, बाकल ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की बेहतर देखभाल और उपचार के उद्देश्य से संचालित ग्राम बाकल का पशु चिकित्सालय इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। हालात यह हैं कि यहां अधिकांश समय ताला लटका रहता है, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी वे अपने बीमार पशुओं को लेकर चिकित्सालय पहुंचते हैं, तो वहां ताला बंद मिलता है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले पशुपालक निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। समय पर उपचार नहीं मिलने से पशुओं की हालत बिगड़ रही है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पशु चिकित्सालय का संचालन लंबे समय से मनमाने ढंग से किया जा रहा है। न तो यहां पदस्थ पशु चिकित्सक नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और न ही अन्य स्टाफ की जिम्मेदारी तय नजर आती है। परिणामस्वरूप शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मामले में जब पशु चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक डॉ. जय कुमार केवट से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि वे जिला मुख्यालय में आयोजित एक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सहायक स्टाफ चिकित्सालय में मौजूद है, जबकि मौके पर चिकित्सालय पूरी तरह बंद पाया गया। जिसमें ताला लटका हुआ था। इस लापरवाही को लेकर पशुपालकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यदि समय पर पशुओं को उपचार नहीं मिलता है, जिससे पशुओं की मौत तक हो जाती है। वहीं जब इस मामले में डीडीओ राजकुमार सोनी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, जिससे जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पशु चिकित्सालय की नियमित निगरानी की जाए और लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पशुपालकों को समय पर और बेहतर उपचार सुविधा मिल सके।

रेलवे स्टेशन में मिली अमानक खाद्य सामग्री

नवभारत, कटनी। रेलवे स्टेशन कटनी में अधिकारियों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें प्लेटफॉर्म और फूड प्लाजा में भारी मात्रा में अमानक खाद्य और पेय पदार्थ बरामद किए गए। अधिकारियों की टीम ने जब स्टेशन के विभिन्न हिस्सों की जांच की, तो स्थिति गंभीर पाई गई: स्टेशन स्थित फूड प्लाजा के निरीक्षण के दौरान वहां ऐसी आइसक्रीम बेची जा रही थी, जो रेलवे द्वारा अधिकृत या अप्रूव्ड नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर स्थित स्टॉल की सघन जांच में अमानक कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉक मिले। नियमों के विरुद्ध बेचे जा रहे इन पेय पदार्थों को तत्काल संज्ञान में लिया गया। जांच दल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों ने न केवल अमानक सामग्री को जब्त किया, बल्कि खराब और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। स्टॉल संचालकों को कहा गया की लापरवाही नहीं की जाए।

सीएफआई मॉडल स्कूल के छात्रों ने लहराया परचम

उमरियापान क्षेत्र में छात्रों की सफलता से हर्ष का माहौल

नवभारत, उमरियापान। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं परीक्षा में नगर के प्रतिष्ठित सीएफआई मॉडल स्कूल, उमरियापान के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम इस वर्ष उत्कृष्ट रहा, जिससे पूरे नगर में खुशी का माहौल है। विद्यालय द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार देव दीक्षित ने 500 में से 473 अंक (94.6%) प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं आस्तिक उपाध्याय 470 अंक (94%) के साथ द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि श्वेता मिश्रा ने 466 अंक (93.2%) प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने भी 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें सोम्या चौरसिया (91.8%), जयश्री नामदेव (91.4%), पायल चक्रवर्ती (91.2%) और राजेंद्र चक्रवर्ती (91%) प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस अवसर पर सीएफ आई मॉडल विद्यालय की प्राचार्य अंजली जैकप ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की । उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को दिया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

एक नजर में

विस्फोटक अधिनियमों का पालन कराने टीम का गठन

नवभारत, कटनी। जिला दंडाधिकारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले में विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम व नियमों का पालन कराने सभी विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों की निर्धारित मापदंडों के अनुसार संस्थानों के भौतिक सत्यापन के लिए अनुविभाग, तहसील और थानावार विशेष जांच दलों का गठन किया है। यह जांच दल कलेक्टर के निर्देश पर जिले में विस्फोटक फैक्ट्री, भंडारगृह, मैंगनीज, गैस गोदाम, पेट्रोल पंप और अमोनियम नाइट्रेट स्टोर हाउस की जांच करेगा। साथ ही विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक नियम का पालन करेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा नियम व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकासखंड कटनी में थाना कोतवाली, कुठला, माधवनगर, रंगनाथ नगर और एनकेजे के अंतर्गत जांच के लिए निरीक्षक दल में उपखण्ड मजिस्ट्रेट कटनी, आयुक्त नगर पालिक निगम और नगर पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया है। इसी प्रकार थाना रीठी और बड़वारा के अंतर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट कटनी और डीएसपी हैड क्वार्टर, विकासखंड विजयराघवगढ़ में थाना विजयराघवगढ़, बरही और कैमोर के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट विजयराघवगढ़, एसडीओपी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि अनुभाग ढीमरखेड़ा के अंतर्गत थाना उमरियापान और ढीमरखेड़ा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा, एसडीओपी स्लीमनाबाद, विकासखंड बहोरीबंद में थाना स्लीमनाबाद, बहोरीबंद और बाकल के अंतर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट बहोरीबंद और एसडीओपी स्लीमनाबाद जांच करेंगे। तहसील कटनी में कोतवाली, कुठला, माधवनगर, रंगनाथ नगर और एनकेजे क्षेत्र की जांच के लिए अधिकारियां को नियुक्त किया है।

सुबह साढ़े 7 से दोपहर साढ़े 12 बजे तक लगेंगे स्कूल

भीषण गर्मी की वजह से कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नवभारत, कटनी। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और सीबीएसई शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए शाला संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। अब आगामी आदेश तक सभी विद्यालयों में कक्षाएं सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं शैक्षणिक स्टाफ को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा, ताकि अन्य प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से संपादित किए जा सकें। परीक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही किया जाएगा। इसके साथ ही मूल्यांकन कार्य भी अपने निर्धारित समय पर पहले की तरह जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जो 30अप्रैल तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल प्रबंधकों और संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिल सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो सकें। बतादें कि लगातार अभिभावकों द्वारा कहा जा रहा था कि भीषण गर्मी में स्कूल लगने से छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है।

शिविर में बताए गए कानूनी अधिकार, सद्भावना से रहने का दिया संदेश

पुलिस ने किया जनचेतना शिविर का आयोजन

नवभारत, कटनी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में ऐसे स्थानों का चिन्हांकन किया गया है, जहां पूर्व में एससी, एसटी से संबंधित अपराध अधिक संख्या में घटित हुए हैं। पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में इन चिन्हित स्थलों पर सर्व समाज की सहभागिता से जनचेतना शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। बिलहरी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत जनचेतना शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की पूर्व और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की गईं। जनचेतना शिविर दौरान उप पुलिस अधीक्षक शिवा पाठक द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा गया कि सभी नागरिक आपसी मतभेदों को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसी भी जाति या वर्ग विशेष के प्रति अभद्र या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करें और सकारात्मक भाषा, व्यवहार अपनाकर समाज में एकता को बढ़ावा दें। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवासियों से यह भी कहा गया कि वे अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन दें, उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करें और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। शिविर के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत दिए गए विशेष अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही एससी, एसटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध प्रकरणों में पीड़ितों को दी जाने वाले राहत राशि और अन्य कानूनी में जानकारी दी गई।

मंदिर में चोरी के आरोप में पिता-पुत्र सहित एक युवक गिरफ्तार

एनकेजे पुलिस ने की कार्रवाई, चोरी का सामान बरामद

नवभारत, कटनी। एनकेजे थाना अंतर्गत मंदिर में चोरी करने के मामल में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पिता-पुत्र सहित एक अन्य युवक शामिल है। पुलिस ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के दौरान 26 मार्च की रात को हुई थी। प्रार्थी जयकुमार विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पडरिया के दुर्गा मंदिर में कीर्तन-भजन कार्यक्रम के बाद ग्रामीण रात लगभग डेढ़ बजे मंदिर बंद कर घर चले गए थे। अगली सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पट खुले थे और माता की प्रतिमा से चांदी के मुकुट, पायल, कटोरी, आंखें, दान पेटी और सोने के दो लॉकेट गायब थे। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना और संदेह के आधार पर तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रकाश उर्फ अभिषेक दुबे (20), गुड्डू उर्फ कृष्ण कुमार दुबे (40) और राहुल सोनी (38) के रूप में हुई है। प्रकाश उर्फ अभिषेक दुबे भोपाल निवासी है और गुड्डू उर्फ कृष्ण कुमार दुबे उसका पिता है। राहुल सोनी उमरिया का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रकाश उर्फ अभिषेक दुबे आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ कोतवाली, कुठला, बड़वारा सहित उमरिया और सिहोरा जिलों के विभिन्न थानों में चोरी और संपत्ति संबंधी कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। कार्रवाई में एनकेजे थाना प्रभारी रुपेन्द्र राजपूत, एसआई नरेश झारिया, एएसआई केवल उईके, प्रधान आरक्षक प्रहलाद सैयाम, शैलेष दमोहिया, आरिफ हुसैन सहित अन्य पुलिस स्टाफ की भूमिका रही।

साइड सोल्डरिंग नहीं होने से बढ़ रहे हादसे

रीठी में नई सड़क बनी खतरे का कारण

कटनी। जिले के रीठी नगर में हाल ही में बनाई गई मुख्य सड़क अब लोगों के लिए सुविधा के बजाय खतरे का कारण बनती जा रही है। कटनी दमोह बाईपास से लेकर रीठी के बीच बाजार होते हुए पुनः बिजली घर बाईपास को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग पर हाल ही में डामर की एक लेयर डाली गई थी, लेकिन निर्माण कार्य में लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी अब सामने आने लगी है।

स्थानीय लोगों और व्यापारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान साइड सोल्डरिंग (किनारों पर मिट्टी भराई) का कार्य नहीं किया गया, जिससे सड़क और उसके किनारों के बीच गहरी खाई जैसी स्थिति बन गई है। इस वजह से वाहन चालकों को संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। विशेष रूप से मिडिल स्कूल और शासकीय महाविद्यालय के सामने स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। यहां छात्रों और आम नागरिकों की आवाजाही अधिक रहती है, लेकिन सड़क के किनारों पर मिट्टी नहीं डाले जाने के कारण थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं।स्थानीय व्यापारियों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि ठेकेदार द्वारा अधूरा और घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। उनका कहना है कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।

मनमानी कर 9 किलोमीटर दूर बनाया खरीदी केन्द्र

किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

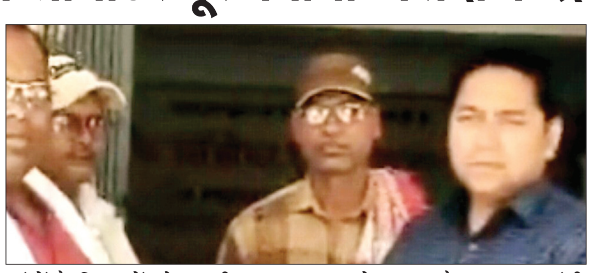

नवभारत, कटनी। जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम खामा में वर्षों से संचालित सरकारी खरीदी केंद्र को अचानक 9 किलोमीटर दूर ग्राम घुघरा स्थानांतरित करने के निर्णय से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। शुक्रवार को ग्राम पंचायत सरपंच सुशील पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार नितिन पटेल को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि ग्राम खामा का खरीदी केंद्र विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से चल रहा था, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने में काफी सुविधा होती थी। इस वर्ष खरीदी प्रभारी द्वारा मनमाने ढंग से केंद्र को 9 किलोमीटर दूर ग्राम घुघरा में खोलने की तैयारी की जा रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों के अनुसार, 9 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने से ट्रैक्टर और अन्य वाहनों का किराया बढ़ जाएगा, जिसका सीधा आर्थिक बोझ छोटे किसानों पर पड़ेगा। इसके अलावा, मंडी तक पहुंचने और कतार में लगने में किसानों का अधिक समय व्यर्थ होगा। अचानक केंद्र बदलने से नई जगह पर व्यवस्थाओं को लेकर भी किसान आशंकित हैं। ग्राम पंचायत सरपंच सुशील पाल ने प्रशासन को अवगत कराया कि यह निर्णय किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के वर्षों पुराने केंद्र को हटाना समझ से परे है।

काजू में मिले कीड़े कराया गया नष्ट

नवभारत, कटनी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा न्यू ओम टेंडर्स और सिद्ध किराना दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान न्यू ओम टेंडर्स में कीड़े लगे हुए लगभग पांच किलो काजू पाया गया। जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया और दुकान मालिक को सख्त हिदायत दी गई कि इस प्रकार की खाद्य सामग्री दुकान में विक्रय के लिए पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान से काजू, बादाम, किशमिश की जांच के लिए सेंपल लिए गए हैं। इसके बाद टीम द्वारा सिद्ध किराना की जांच की गई। दुकान में मसाले, ड्राई फ्रूट का विक्रय होना पाया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी

लोक सुनवाई की आम सूचना

सर्वसबंधितो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत मेसर्स ग्लोबल मिनिरल्स पार्टनर मिलिन्द्र जैन, मझगवों लेटेराईट माईन माइनिंग ऑफ मिनिरल्स खसरा नं. 372 ग्राम मझगवों, तहसील बडवारा, जिला- कटनी, लीज क्षेत्रफल 4.250 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 49,392 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुकम मे लोक सुनवाई कराने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं परियोजना का कार्यकारी सारांश हिन्दी व अग्रेंजी में साफ्ट कापी सहित का अवलोकन (1) कार्यालय कलेक्टर, कटनी (2) कार्यालय जिला पंचायत, कटनी, (3) कार्यालय जिला व्यापार एवं उघोग केन्द, कटनी (4) कार्यालय ग्राम पंचायत ग्राम मझगवों, तहसील बडवारा, जिला कटनी, (5) अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड क्रमांक 3 राजयोग भवन के पास ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल (6) मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एवं (7) क्षेत्रीय कार्यालय, नवीन भवन पता एन.एच. 30, जबलपुर रीवा बायपास रोड, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा शो रूम के पास गुलवारा तहसील मुडवारा, जिला - कटनी (म.प्र.) मे कार्यालयीन समय मे किया जा सकता है तथा इसे बोर्ड की बेवसाइड www.mppcb.nic.in पर भी देखा जा सकता है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त खदान के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी (म.प्र.) के कार्यालय मे मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 28.05.2026 दिन गुरूवार को प्रात: 10:00 बजे मेसर्स ग्लोबल मिनिरल्स पार्टनर मिलिन्द्र जैन, मझगवॉ लेटेराईट माईन, ग्राम मझगवाँ, तहसील बडवारा, जिला - कटनी, के परियोजना स्थल के परिसर में आयोजित की जायेगी जिसमे भी सुझाव, विचार, टीका/टिप्पणी एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

जनगणना ऑनलाइन पोर्टल पर होगा सेल्फ एन्यूमरेशन, 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान का पहला चरण

जनगणना राष्ट्रीय कार्य है और इसे प्राथमिकता से करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी

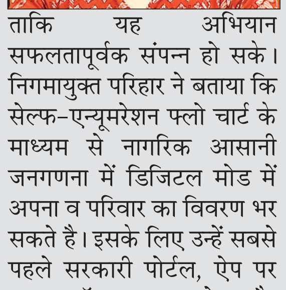

नवभारत, कटनी। प्रमुख नगर जनगणना अधिकारी नगर निगम आयुक्त आईएएस तपस्या परिहार ने शहर वासियों से देशभर में चलाए जा रहे जनगणना अभियान को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए कहा है। निगमायुक्त ने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसे प्राथमिकता देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना अभियान में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है ताकि सटीक और अपडेट आंकड़े प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक जनगणना के प्रथम चरण - मकान सूचीकरण, मकानों की गणना के लिए नगर में सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व-गणना का कार्य किया जाएगा। इस अवधि के दौरान नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर प्रस्तुत कर सकते है। निगमायुक्त ने कहा कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश की विकास योजनाओं की आधारशिला होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सही और समय पर विवरण दर्ज करना अत्यंत आवश्यक है। आपने जनगणना कार्य में संलग्न निगम की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए प्रेरित करें, ताकि यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। निगमायुक्त परिहार ने बताया कि सेल्फ-एन्यूमरेशन फ्लो चार्ट के माध्यम से नागरिक आसानी जनगणना में डिजिटल मोड में अपना व परिवार का विवरण भर सकते है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले सरकारी पोर्टल, ऐप पर जाकर लॉग इन करना होगा और अपना राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व कैप्चा एंटर करना होगा। इसके बाद अपने घर का पंजीकरण करने के लिए आवश्यक डेटा भरना होगा, जिसमें घर के मालिक का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर के मालिक का नाम दोबारा बदला नहीं जा सकेगा। एक मोबाइल नंबर के साथ एक घर ही पंजीकृत हो सकेगा। एक बार एक घर के साथ मोबाइल नंबर पंजीकृत होने के बाद वह मोबाइल नंबर दूसरे घर के लिए प्रयोग नहीं हो सकेगा। प्रक्रिया के अगले चरण में भाषा का चयन व ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। एक बार भाषा का चयन करने के उपरांत भाषा नहीं बदली जा सकेगी। भाषा का चयन करने के उपरांत पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा। इसके बाद विवरण दर्ज करने के लिए जिला का चयन करना होगा तथा जिला का चयन के बाद पिन कोड, गांव, कस्बा दर्ज करना होगा। पांचवे चरण में मानचित्र पर अपने मकान की स्थिति दर्ज करनी होगी। इसके तहत मानचित्र पर रेड मार्कर से अपने रिहायशी भवन की सही स्थिति अंकित करनी होगी। इस लोकेशन को कंफर्म करना होगा। निगमायुक्त ने बताया कि इसके बाद छठे चरण में हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेनसस प्रश्नावली में आवश्यक सूचना दर्ज करनी होगी। आठवें चरण में दर्ज की गई सूचना को फाइनल सबमिट का बटन क्लिक कर डेटा को लॉक करना होगा। ध्यान रहे एक बार डाटा लॉक करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।